इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

Committed to professional excellence

IIBF VISION

खंड संख्या 14 | अंक संख्या 11 | जून, 2022 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन:

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---------- 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 4
विनियामक के कथन---------- 4
आर्थिक संवेष्टन ---------- 5
नयी नियुक्तियाँ---------- 6
विदेशी मुद्रा---------- 6
शब्दावली---------- 7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -------- 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------- 7
संस्थान समाचार---------- 7
नयी पहलकदमी---------- 9
बाजार की खबरें ---------- 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

6 से 8 जून, 2022 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों की मुख्य बातें

6 से 8 जून, 2022 तक आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गये निर्णयों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बढ़ी मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पुनर्खरीद (repo) दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90% की गई।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) 4.15% से बढ़ाकर 4.65% कर दी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 4.65% से बढ़ाकर 5.15% कर दी गई।
- वर्तमान वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति इस समय 6.7% है।
- वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का पूर्वानुमान 7.2% पर कायम रखा गया।
- रूपे क्रेडिट कार्डों की एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) से संबद्धता को अनुमत किया जाना प्रस्तावित।
- भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना में आशोधन प्रस्तावित।
- ई-अधिदेश (e-mandate) आधारित आवर्ती (recurring) भुगतान की सीमा बढ़ाकर प्रति आवर्ती भुगतान 15,000 रुपए किया जाना प्रस्तावित।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों से आवासीय ऋण सीमाएं बढाईं, वहनीय आवास को समर्थन प्रदान किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों से आवासीय ऋण से संबन्धित सीमाएं बढ़ाकर दो गुनी कर दी है। टियर 1 और टियर 2 वाले शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए ये सीमाएं संशोधित करते हुये क्रमश: 30 लाख रुपए के स्थान पर 60 लाख रुपए और 70 लाख रुपए के स्थान पर 1.40 करोड़ रुपए कर दी गई हैं। उसने वहनीय आवास तथा समावेशी वृद्धि को समर्थन प्रदान करने हेतु ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को आवासीय स्थावर सम्पदा परियोजनाओं का वित्तीयन करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। 100 करोड़ रुपए से कम की निर्धारित निवल मालियत वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों के मामले में उक्त सीमाएं संशोधित करके 20 लाख रुपए के स्थान पर 50 लाख रुपए कर दी गई हैं तथा अन्य ग्रामीण सहकारी बैंकों के मामले में ये सीमाएं 30 लाख रुपए से बढ़कर 75 लाख रुपए हो जाएंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक का पैनल बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में ग्राहक सेवा के स्तरों का मूल्यांकन करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक नें बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) तथा उसके विनियमन के अधीन ऐसी ही अन्य संस्थाओं में लागू किए गए ग्राहक सेवा तंत्र की गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु एक छ: सदस्यीय पैनल का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर श्री बी॰ पी॰ कानूनगो की अध्यक्षता में गठित इस पैनल से अपनी रिपोर्ट उसकी पहली बैठक की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने की आशा की जाती है। उक्त पैनल विशेषत: डिजिटल, इलेक्ट्रानिक वित्तीय उत्पादों और उनके वितरण के निरंतर विकसित होते परिदृश्य की पृष्ठभूमि में ग्राहकों की उभरती एवं विकसित होती आवश्यकताओं की समीक्षा करेगा। वह सुसंगत विनियामक उपाय भी सुझाएगा। इसके अतिरिक्त वह ग्राहक सेवा एवं परिवाद निवारण के क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई उत्तम प्रथाओं की पहचान करेगा तथा खुदरा और छोटे ग्राहकों, विशेषत: पेंशनभोगियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए उन्हें लागू किए जाने के उपाय भी सुझाएगा।

इस पैनल से ग्राहक सेवा की कुशलताओं को बढ़ाने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में आंतरिक परिवाद निवारण व्यवस्था का कोटि-उन्नयन करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समग्र उपभोक्ता संरक्षण कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों को श्रीलंका के साथ व्यापारिक लेनदेनों का भारतीय रुपए में निपटान किए जाने की अनुमति प्रदान की

संकटग्रस्त श्रीलंका के साथ व्यापार करने वाले निर्यातकों को अपने भुगतान प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के साथ व्यापारिक लेनदेनों का एशियाई समाशोधन संघ

(ACU) व्यवस्था से अलग रीति से भारतीय रुपए में निपटान करने की अनुमति दे दी है। मार्च, 2022 में सरकार ने श्रीलंका द्वारा भारत से आवश्यक माल/समान की खरीदियों का वित्तीयन करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किए गए 1 बिलियन अमरीकी डालर के सावधि ऋण की गारंटी ली थी।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का निर्देश : तुलनपत्रों पर प्रभाव को न्यूनतम रखने हेतु शमनकारी उपाय करें

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने चुनिन्दा बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में बैंकों से वर्तमान भौगोलिक-राजनीतिक घटनाओं को उचित रूप से ध्यान में रखने और तदनुसार उनके तुलनपत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को नरम करने हेतु पूंजी जुटाने सहित शमनकारी उपाय करने के लिए कहा है। वे बैंकों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी परिवाद निवारण प्रणाली में सुधार लाएँ तथा आर्थिक गतिविधि को पुनरुज्जीवित करने के लिए निरंतर आधार पर सहायता प्रदान करते रहें। उन्होंने बैंकों में ऋण उठाव (off-take), आस्ति गुणवत्ता दृष्टिकोण (outlook), वसूली से संबन्धित कार्य-कुशलता, डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना, साइबर सुरक्षा बचाव उपायों और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की आघात-सहनीयता जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पुन: उधार देने हेतु निरंतर आधार पर बैंक सहायता की प्राप्ति

31 मार्च, 2022 तक की समय-सीमा को समाप्त करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFBs) को क्रमश: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पुन: उधार देने हेतु ऋण प्रदान करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार अब बैंक अपने कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारों का 5% आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रदान कर सकते हैं। लघु वित्त बैंकों के मामले में यह सीमा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त कंपनियों को उनके द्वारा प्रदत्त ऋण तथा पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च के दिन 500 करोड़ रुपए तक के सकल ऋण पोर्टफोलियो रखने वाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के मामले में 10% है। निर्धारित सीमाओं का परिकलन वित्त वर्ष की चारों तिमाहियों का औसत निकालते हुये किया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि एटीएम अंतरपरिचालनीय कार्ड-रहित नकदी आहरण सुविधा प्रदान करें

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों, एटीएम नेटवर्कों, श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से सभी एटीएमों पर अंतरपरिचालनीय कार्ड-रहित नकदी आहरण सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्कों के साथ एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) का एकीकरण सुगम बनाने के लिए कहा गया है। इसप्रकार के लेनदेनो में एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ सहायता करेगा, जबकि राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (NFS)/एटीएम नेटवर्क निपटानों में सहायता करेंगे। हम पर (आन अस)/ हम से दूर (आफ अस) अंतरपरिचालनीय कार्ड-रहित नकदी लेनदेनों को अंतर-परिवर्तन (interchange) शुल्क के संबंध में निर्धारित प्रभार तथा ग्राहक प्रभार को छोडकर किसी प्रकार के अतिरिक्त प्रभार के बिना संसाधित किया जाएगा। आहरण सीमाएं वही होंगी जो नियमित आन अस /आफ अस एटीएम आहरणों के लिए लागू होती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का कहना है कि इस सुविधा से न केवल लेनदेनो की सहूलियत में वृद्धि होगी, अपितु यह कार्ड स्किमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी उन धोखाधड़ियों को रोकने में भी सहायक होगी जो कार्डों का उपयोग करते समय अक्सर हो जाती हैं। जहां वित्तीय विशेषज्ञ इस सुविधा की सहूलियत और आसानी की प्रशंसा करते हैं वहीं उन्होंने उन प्रतिकूल प्रभावों का भी उल्लेख किया है जो इनके उपयोग से डेबिट कार्डों पर पड़ने वाला है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकेतर भारत बिल पेमेंट कंपनियों के लिए निवल मालियत जैसी आवश्यकता कम कर दी गई

संबन्धित खंड में अधिक प्रतिस्पर्धियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ भारत बिल पेमेंट प्रचालन इकाइयां (BBPOUs) गठित करने हेतु बैंकेतर संस्थाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यूनतम निवल मालियत संबंधी आवश्यकता को कम करके 100 करोड़ रुपए के स्थान पर 25 करोड़ रुपए कर दिया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) बिलों के भुगतान के लिए एक अंतरपरिचालनीय प्लेटफार्म है। इसका प्रसार-क्षेत्र और इसकी व्याप्ति में ऐसे बिल-निर्माताओं की सभी श्रेणियों का समावेश हो जाता है जो आवर्ती बिल बनाते/तैयार करते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्हताप्राप्त/पात्र जौहरियों द्वारा सोने के आयात हेतु मानदंड जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्हताप्राप्त/पात्र जौहरियों द्वारा इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (IFSC-IIBX) अथवा उसी प्रकार के प्राधिकृत शेयर बाजार/एक्सचेंज के माध्यम से भारत में सोने के भौतिक आयात को सुगम बनाने के लिए मानदंड जारी कर दिये हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अर्हताप्राप्त/पात्र जौहरियों को वर्तमान विदेश व्यापार नीति तथा भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट अधिनियम के अधीन जारी विनियमनों के अनुपालन में इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने के आयात हेतु 11 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान की रकम विप्रेषित करने की अनुमति दे सकते हैं। तथापि, अग्रिम विप्रेषण का उपयोग किए गए अग्रिम विप्रेषण की रकम से अधिक मूल्य के सोने का आयात करने हेतु नहीं किया जाना चाहिए। अग्रिम विप्रेषण किए जाने के बाद आयात सम्पन्न न होने पर अथवा किए गए अग्रिम विप्रेषण की रकम के आवश्यक रकम से अधिक होने पर अग्रिम विप्रेषण की अप्रयुक्त रकम 11 दिनों के भीतर उसी बैंक को वापस विप्रेषित कर दी जानी चाहिए। इंडिया इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने के आयात के लिए किए जाने वाले सभी भुगतान भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट अधिनियम द्वारा अनुमोदित विनिमय व्यवस्था/तंत्र के माध्यम से किए जाने चाहिए।

विनियामक के कथन

हाल ही में किए गए व्यापारिक करार, भौगोलिक-राजनीतिक स्थितियाँ बाजार के अवसरों के अनुकूल : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

एक चक्र-बाह्य नीतिगत घोषणा में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि हाल ही में किए गए व्यापारिक करार और भौगोलिक-राजनीतिक स्थितियाँ भारत के लिए बाजार के नए अवसर खोलने की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूल हैं। बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गए सुदृढ़ राजस्व मार्गदर्शन भी 2022-23 में समग्र बाह्य क्षेत्र की प्रत्याशा को प्रोत्साहनपूर्ण बनाते हैं। हाल ही के कुछेक संयमन के बावजूद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह सुदृढ़ रहे हैं, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) जैसे दीर्घावधिक प्रवाह भी स्थिर रहे हैं। निवल वायदा आस्तियों द्वारा सुदृढ़ समर्थन दिये जाने के परिणामस्वरूप भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में विदेशी ऋण का अनुपात 20% के कम स्तर पर कायम है। गवर्नर ने इस बात के प्रति आश्वस्त किया कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं यथा- ऋण के उठाव एवं वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति से संबन्धित कार्रवाइयों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की मध्यावधि वृद्धि की संभावनाओं को सुदृढ़ एवं समेकित करने के लिए मुद्रास्फीति को कम करना तथा उससे (मुद्रास्फीति से) संबन्धित अपेक्षाओं को टिकाये रखना है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास : मौद्रिक नीति समिति की क्रम-बाह्य दर वृद्धि अर्थव्यवस्था को कठोर आघातों से बचाएगी

मुद्रास्फीति में तीव्र उछाल लाने वाले आपूर्ति पक्ष के कारकों (विशेषत: युद्ध से संबन्धित) की मौजूदगी के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मई की शुरूआत में नीतिगत दरों को क्रम-बाह्य रीति से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.4% कर दिया। यह कदम अधिक सामान्यीकृत होती जा रही मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में उसकी (मुद्रास्फीति की) अपेक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए उठाया गया था। दरें बढ़ाने के मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के पक्ष में बोलते हुये गवर्नर ने कहा कि युद्ध के प्रत्याशित समय से अधिक लंबे समय तक जारी रहने की आशा है और जून में आयोजित होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक तक प्रतीक्षा करने का अभिप्राय बहुमूल्य समय को गंवाना होता, इसप्रकार जून में आयोजित होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अपेक्षाकृत ऐसी कठोर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता जो अब अपरिहार्य हो गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आसन्न और दर-वृद्धि का संकेत दिया

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि शीर्ष बैंक आगामी महीनों में दरों में पुन: वृद्धि करेगा, इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि वह रुपए का अनियंत्रित अवमूल्यन नहीं होने देगा। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार मुद्रास्फीति को

रोकने के दूसरे चरण में पहुँच गए हैं तथा उन्हें लगता है कि केंद्र वर्ष के लिए 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

चलनिधि के संबंध में उन्होंने काहा कि यह 2-3 वर्षों के लंबे चक्र में अंशांकित रीति से सामान्यीकृत हो जाएगी। चलनिधि की पर्याप्तता वृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर निर्भर करेगी और वह घटते-बढ़ते अंकों वाली हो सकती है। गवर्नर ने यह दावा किया कि भारतीय रिजर्व बैंक चालू खाते के बढ़ते घाटे (CAD) से पैदा होने वाले भुगतान संतुलन में किसी भी प्रकार की कमी का वित्तीयन करने की अच्छी स्थिति में है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 600 बिलियन अमरीकी डालर की प्रारक्षित निधियाँ, स्थिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा एक अच्छा-खासा निर्यात निष्पादन मौजूद है। उसका मुख्य उद्देश्य किसी भी अतिशय/अतिरिक्त अस्थिरता को रोकना है। जहां तक क्रिप्टो करेंसियों का प्रश्न है श्री दास ने इस बात को दोहराया कि उन्हें विधिसम्मत बनाने से मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता की गंभीर रूप से अनदेखी हो जाएगी।

उधारकर्ता द्वारा चूक किए जाने की प्रतीक्षा न करें; सभी उधारकर्ताओं को पीपीआईआरपी की सुविधा प्रदान करें : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने यह मत व्यक्त किया है कि ऋणदाताओं को समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा चूक किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें सभी उधारकर्ताओं को पहले पैकेज की हुई दिवाला समाधान प्रक्रिया (PPIRP) उपलब्ध करानी चाहिए। जब तक सभी ऋणदाताओं की हार्दिक सहभागिता न हो समाधान की दिशा में किया जाने वाला कोई भी प्रयास अधपका और अधूरा ही रहेगा। इसप्रकार के अधूरे समाधान में गंवाया जाने वाला समय अंततोगत्वा लेनदारों को होने वाली हानियों तथा वित्तीय प्रणाली को पड़ने वाली लागतों को ही बढ़ाएगा।

उन्होंने विशेष रूप से भारत जैसी अर्थव्यवस्था, जिसमें ऋण सविदाओं में पारंपरिक रूप से पार-दायित्व (cross-obligations) अंतर्निहित होते हैं तथा ऋण शमन सुरक्षा उधारकर्ता की मूल या समूह कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, में सामूहिक समाधान प्रक्रिया के महत्व पर बल दिया। ऋणदाताओं की जोखिम प्रबंधन प्रथाएँ पर्याप्त रूप से परिष्कृत की जानी होंगी, ताकि तथाकथित ऋण एक्सपोजर की सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाले जोखिम कारकों में हुये परिवर्तनों का पता लगाया जा सके। ऋणदाताओं को उन संभाव्य प्रक्षेप-पथों (trajectories) का अनुमान लगाने के लिए आवधिक आधार पर दबाव-परीक्षण भी करने चाहिए जिन पर ऋण एक्सपोजर के जाने की संभावना हो तथा उन्हें अपनी अनुक्रियाओं की तदनुसार जांच कर लेनी चाहिए। अंततोगत्वा स्वयं अपने हित तथा अपने हितधारक के हित को सुरक्षित रखना ऋणदाताओं का ही उत्तरदायित्व बनता है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई अप्रैल 2022 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कुछेक प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन निम्नानुसार हैं :

- मार्च 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयोजित (CPI-C) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.95% पर पहुँच गई और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) द्वारा मापी गई थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 14.6% हो गई।
- मार्च 2022 में आठ मुख्य उद्योगों का संयोजित सूचकांक 157.3 बिन्दु पर रहा, इसमें वर्षानुवर्ष 4.3% की वृद्धि दर्ज हुई।
- फरवरी 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में वर्षानुवर्ष 1.7% की वृद्धि हुई।
- अप्रैल 2022 में भारत का विनिर्माण पीएमआई तथा सेवा पीएमआई क्रमश: 54.7 और 57.9% बढ़ा। तिजारती निर्यात 38.2 बिलियन अमरीकी डालर और तिजारती आयात बढ़कर 58.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
- अप्रैल 2022 के दौरान (मार्च के लेनदेनों को प्रतिबिम्बित करते हुये) 18.8% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाते हुये माल और सेवा कर (GST) वसूलियाँ 1.68 लाख रुपए के स्तर पर पहुँच गईं।
- वित्त वर्ष 2021 की तदनुरूपी अवधि में दर्ज आंकड़ों की तुलना में अप्रैल 2022 में उक्त प्लेटफार्म पर संसाधित एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) लेनदेनों के मूल्य एवं परिमाण क्रमश: 9.7 ट्रिलियन रुपए ((96% की वृद्धि) तथा 5.4 बिलियन रूपये (104.5% की वृद्धि) रहे।

- मार्च 2022 में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को ऋणगत सहायता में क्रमशः 9.9%, 7.1% और 8.9% की वर्षानुवर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई।
- वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल-फरवरी अवधि के लिए सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 76.9 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
- अप्रैल 2022 में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) के प्रतिफल में 28 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री राजीव रंजन	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं पदेन सदस्य, मौद्रिक नीति समिति
श्री सितिकण्ठ पटनायक	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 मई 2022 के दिन करोड़ रुपए	27 मई 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1 कुल प्रारक्षित निधियाँ	4665848	601363
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4166344	536988
1.2 सोना	317466	40917
1.3 विशेष आहरण अधिकार	143058	18438
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	38980	5019

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जून 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	0.78
जीबीपी	0.9383
यूरो	-0.585
जापानी येन	-0.021
कनाडाई डालर	0.9600
आस्ट्रेलियाई डालर	0.35

मुद्रा	दरें
स्विस फ्रैंक	-0.709455
न्यूजीलैंड डालर	2.00
स्वीडिश क्रोन	-0.146
सिंगापुर डालर	0.7681
हांगकांग डालर	0.02054
म्यामार रुपया	1.98

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

चालू खाते का घाटा (CAD)

चालू खाते का घाटा किसी देश के व्यापार का माप होता है जिसमें वह जिन मालों एवं सेवाओं का आयात करता है उनका मूल्य वह जिन उत्पादों का निर्यात करता है उनके मूल्य से अधिक होता है। चालू खाते में निवल आय, जैसे ब्याज और लाभांश और अंतरणों जैसे विदेशी सहायता का समावेश होता है। चालू खाता किसी देश के विदेशी लेनदेनों का निरूपण करता है और पूंजीगत खाते की भांति ही किसी देश के भुगतान संतुलन (BOP) का संघटक होता है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

वार्षिकी

वार्षिकी शब्द वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी स्थायी/नियत आय वाली धारा में निवेश की गई निधियों को भविष्य में चुकाने के इरादे से जारी एवं वितरित किसी बीमा संविदा से संबन्धित होता है। निवेशक मासिक प्रीमियमों अथवा एकमुश्त भुगतानों से वार्षिकियों में निवेश करते हैं अथवा उन्हें खरीदते हैं। वार्षिकियों का उपयोग मुख्यत: सेवानिवृत्ति के प्रयोजनों के लिए और व्यक्तियों की उनकी बचतों के समाप्त हो जाने के जोखिम से निपटने में सहायता करने हेतु किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में परिचालन जोखिम का प्रबंधन	13 से 15 जून, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित वही
केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त	13 से 17 जून 2022 तक	
बैंकिंग अनुपालन	15 से 17 जून 2022 तक	
डिजिटल रूपान्तरण, उभरती प्रौद्योगिकियाँ तथा बैंकिंग एवं वित्त में डेटा विश्लेषकों का उपयोग	16 से 18 जून, 2022 तक	
व्यापार-आधारित धन-शोधन	17 से 18 जून, 2022 तक	
अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	20 से 22 जून, 2022 तक	
विदेशी मुद्रा परिचालन	20 से 22 जून, 2022 तक	
तुलनपत्र वाचन एवं अनुपात विश्लेषण	23 से 24 जून, 2022 तक	
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	24 से 26 जून, 2022 तक	

संस्थान समाचार

मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स को केंद्रीय और राज्य सरकारों

के अधिकारियों के लिए मूलभूत सुविधा परियोजनाओं पर एक 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह पहला अवसर है जब इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स केंद्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी- संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से समंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इन्स्टीटूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं समसामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन जेएआईआईबी/ डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/ जून 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थायी तौर पर निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षायें नवंबर/दिसंबर2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

स्वत: संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्णन मानदंड में संशोधन

डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में आचार-विचार में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए स्वत: संगामी ई-शिक्षण विधि के अधीन अन्तिम मूल्यांकन/परीक्षा के उत्तीर्णन अंकों को 70% से संशोधित करके 60% कर दिया गया है। यह संशोधन 1 मार्च 2022 को अथवा उसके बाद कराये गए पंजीकरणों के लिए प्रभावी होगा।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक का विमोचन किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने दिसंबर, 2021 तक अद्यतन की हुई ''बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक'' का विमोचन किया। यह सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों और बैंकिंग एवं वित्त के विषय-क्षेत्र के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये विनियामक परिवर्तनों की एक ऐसी व्यापक सार-पुस्तिका है जिसमें पाठक को हितकर वाचन अनुभव दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरणों, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा लेखों का समावेश है। उक्त पुस्तक पेपरबैक के रूप में और एक उद्दीपक (kindle) संस्करण, दोनों ही रूपों में अमैजान पर उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (NISM) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.inको बैंकों से . देखें।

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) का 11वां बैच

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के 11वें बैच की शुरूआत 11 जून 2022 से होगी। जैसा कि पिछले वर्ष के दौरान देखने में आया था उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम को बैंकों से अत्यधिक अच्छी अनुक्रिया प्राप्त हुई थी। इस कार्यक्रम की एक विशेषता है आईआईएम-कोलकाता में एक पाँच दिवसीय विसर्जन कार्यक्रम।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अप्रैल – जून, 2022 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "Embedding ESG (Environmental, Social and Governance) into Banks' strategy"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा मेँ कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

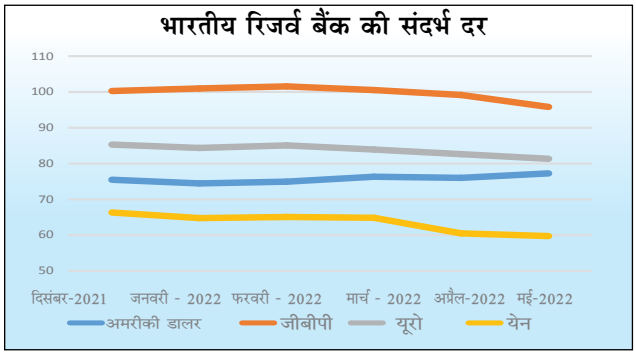

स्रोत: एफबीआईएल

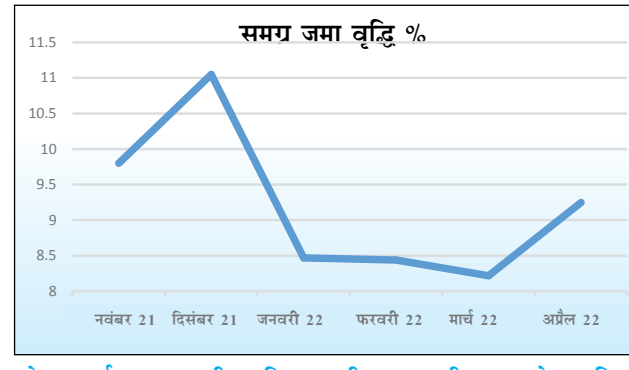

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2022

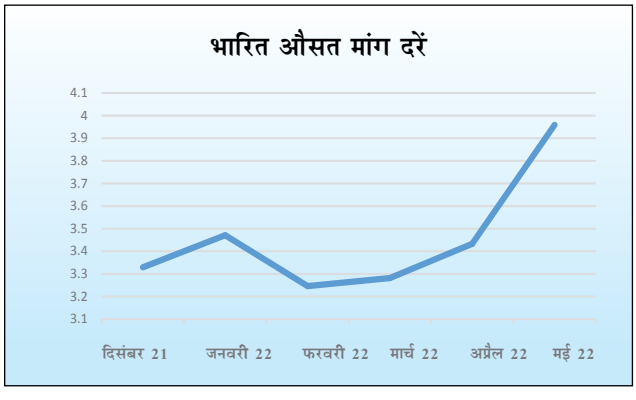

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

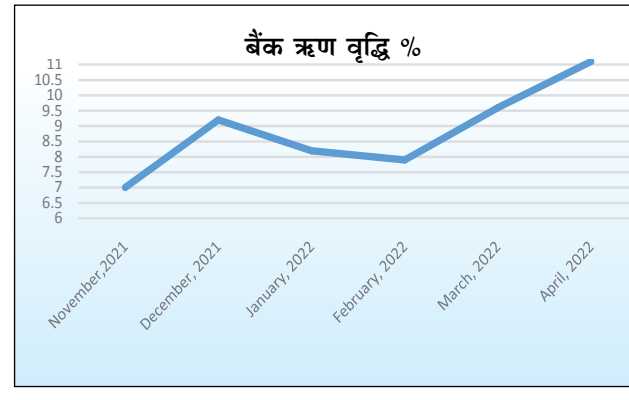

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

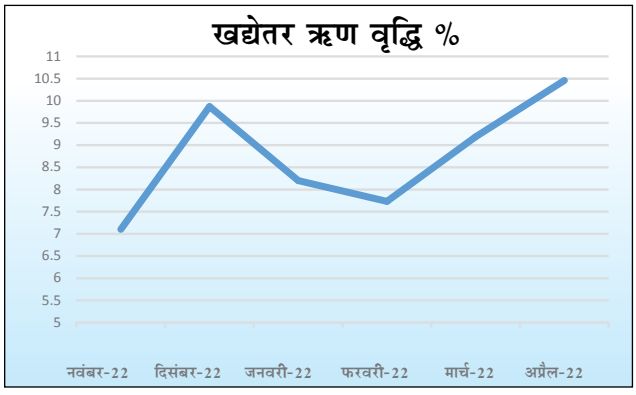

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2022

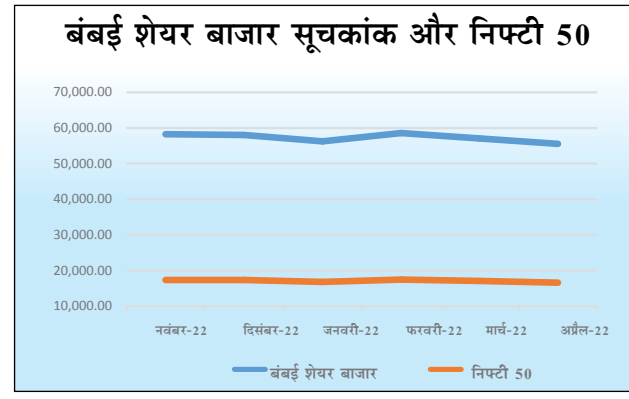

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

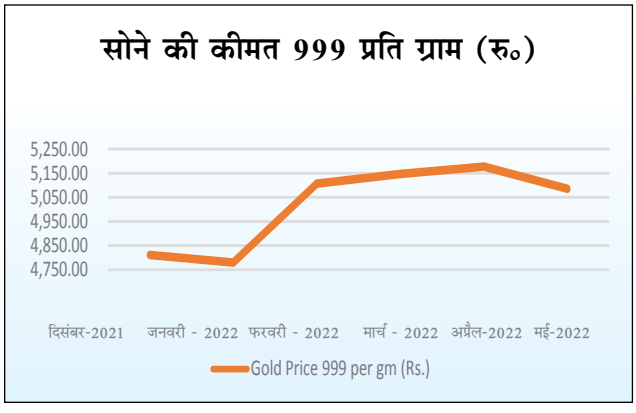

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : बिश्व केतन दास

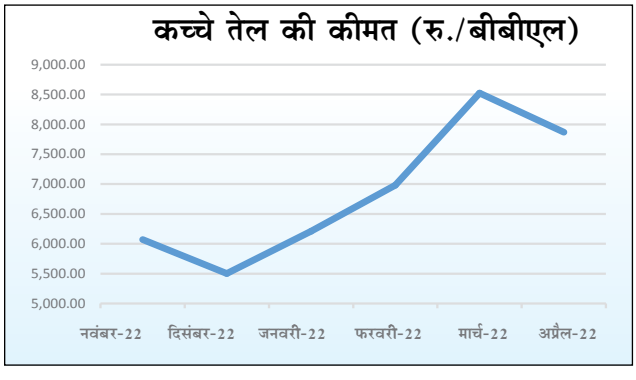

स्रोत: पीपीसीए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-6850 7000
फैक्स : 91-22-2503 7332
वेबसाइट : www.iibf.org.in